



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269619
CG-DL-E-28012026-269619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947

No. 354]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 382(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर, राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि की रुपरेखा और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, के लिए राजस्थान प्रदेश के जिला जयपुर में, परिसम्पत्ति सहित अथवा परिसम्पत्ति रहित, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

जिला— जयपुर					राज्य— राजस्थान
क्र.स.	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	प्रस्तावित अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल हैक्टर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जयपुर	किशनगढ़ रेनवाल	रलावता	1	0.0050
2			बजियों का बास	180 / 1	0.1000
3			चरणवास	58	0.0400
4				56	0.0650
5				54	0.1250
6				53&4	0.0325
7				52	0.0120
8				49	0.1500
9				48 / 1	0.0780
10				48 / 3	0.0650
11			देवा का बास	48	0.0164
12				295 / 49	0.1100
13				49 / 2	0.1800
14				138	0.2320
15				139	0.0540
16				170	0.0480
17				169	0.1080
18				165 / 1	0.0600
19				165 / 2	0.0600
20				148	0.0040
21				147	0.0880
22				146	0.0720
23				142	0.0600
24				136	0.0500
25			हरु का बास	1306	0.2040
26				1305	0.0960
27				1303	0.3075
28				1302	0.0400
कुल अवाप्त भूमि					2.4624

[फा. सं. 2026/एलएमएल-II /12/1/ डब्ल्यू सी /2511]

भारतेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 382(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, (to this notification) the brief description of which has been specified in the Schedule annexed is required for execution of Special Railway Project, namely, the Western Dedicated Freight Corridor in the district of Jaipur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Whereas any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection, to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Whereas Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Renwal, Jaipur, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof and the such competent authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Whereas any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the **district Jaipur** for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor, in the State of Rajasthan.

District- Jaipur

State-Rajasthan

S.No.	Name of the District	Name of the taluka	Name of the Village	Survey number	Proposed Area in Hect.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jaipur	Kishangarh Renwal	Ralawata	1	0.0050
2			Bajio Ka Bas	180/1	0.1000
3			Charanwas	58	0.0400
4				56	0.0650
5				54	0.1250
6				53/4	0.0325
7				52	0.0120
8				49	0.1500
9				48/1	0.0780
10				48/3	0.0650
11			Deva Ka Bas	48	0.0164
12				295/49	0.1100
13				49/2	0.1800
14				138	0.2320
15				139	0.0540
16				170	0.0480

17				169	0.1080
18				165/1	0.0600
19				165/2	0.0600
20				148	0.0040
21				147	0.0880
22				146	0.0720
23				142	0.0600
24				136	0.0500
25			Haru Ka Bas	1306	0.2040
26				1305	0.0960
27				1303	0.3075
28				1302	0.0400
Total Land Area					2.4624

[F. No. 2026/LML-II/12/1/WC/2511]

BHARTESH KUMAR JAIN, Executive Director (L &A)